



राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011

दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्रमांक/राशिके/आरटीई/2022 /3681
प्रति,

भोपाल, दिनांक 14.6.22

1. समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश
3. समस्त जिला परियोजना समन्वयक, मध्यप्रदेश

विषय—शैक्षणिक सत्र 2022-23 हेतु शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अर्न्तगत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में ऑनलाइन निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में।

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के प्रभावी क्रियान्वयन तथा कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के निःशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया को पारदर्शी और आसान बनाने के उद्देश्य से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त कर, सत्यापन अधिकारियों द्वारा मूल दस्तावेजों से सत्यापन, सत्यापन में पात्र गये बच्चों में से ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से सीटों का आवंटन किया जा रहा है। प्रवेश के इच्छुक आवेदक अपना समग्र आईडी एवं आधार नंबर दर्ज कर अपने ग्राम/वार्ड, पड़ोस तथा विस्तारित पड़ोस के प्रायवेट स्कूलों में कक्षावार प्रदर्शित आरक्षित सीटों में निःशुल्क प्रवेश हेतु पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन दर्ज कर सकेंगे। आवेदन के पश्चात निर्धारित तिथि एवं निर्धारित सत्यापन केन्द्र पर मूल दस्तावेजों से सत्यापन कराया जाना अनिवार्य है। सत्यापन उपरांत पात्र पाये गये आवेदकों से अशासकीय स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत रिक्त सीटों पर आवंटन, आवेदक की पात्रता अनुसार एवं आवेदक द्वारा प्रदत्त विकल्पों के आधार ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा।

आवेदन एवं सत्यापन की समय सारणी निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

क.	गतिविधियाँ	समय-सीमा
1	पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन एवं त्रुटि सुधार हेतु विकल्प	दिनांक 15-30 जून तक
2	ऑनलाइन आवेदन के पश्चात पोर्टल से पावती 02 प्रति में डाउनलोड कर मूल दस्तावेजों से निकट के सत्यापन केन्द्र (शासकीय जनशिक्षा केन्द्र) में सत्यापनकर्ता अधिकारियों से सत्यापन कराना।	दिनांक 20 जून से 01 जुलाई 2022 तक
3	रेण्डम पद्धति से ऑनलाइन लॉटरी द्वारा स्कूल का आवंटन एवं चयनित आवेदकों को एसएमएस द्वारा सूचना।	05 जुलाई 2022

12

4	जिस बच्चे को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से स्कूल आवंटन हुआ है उसके द्वारा पोर्टल से आवंटन पत्र डाउनलोड कर आवंटित स्कूल में प्रवेश हेतु उपस्थित होकर प्रवेश प्राप्त करना। प्रवेश लेते समय ही संबंधित अशासकीय स्कूल द्वारा मोबाइल एप के माध्यम से एडमिशन रिपोर्टिंग दर्ज करना अनिवार्य है। संबंधित अशासकीय स्कूल द्वारा एडमिशन रिपोर्टिंग करने पर पोर्टल द्वारा आवेदक के पंजीकृत मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से पुष्टि करना।	06 जुलाई से 16 जुलाई 2022 तक
5	द्वितीय चरण प्रवेश हेतु रिक्त सीटों को पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाना	20 जुलाई 2022
6	द्वितीय चरण हेतु स्कूलों की च्वाइस को अपडेट किया जाना	20 -25 जुलाई 2022
7	द्वितीय चरण से ऑनलाइन लॉटरी द्वारा स्कूल का आवंटन	28 जुलाई 2022
8	जिस बच्चे को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से स्कूल आवंटन हुआ है उसके द्वारा पोर्टल से आवंटन पत्र डाउनलोड कर आवंटित स्कूल में प्रवेश हेतु उपस्थित होकर प्रवेश प्राप्त करना। प्रवेश लेते समय ही संबंधित अशासकीय स्कूल द्वारा मोबाइल एप के माध्यम से एडमिशन रिपोर्टिंग दर्ज करना अनिवार्य है। संबंधित अशासकीय स्कूल द्वारा एडमिशन रिपोर्टिंग करने पर पोर्टल द्वारा आवेदक के पंजीकृत मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से पुष्टि करना।	28 जुलाई से 05 अगस्त 2022

इस ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जा रहे हैं:-

1. प्रवेश के लिये पात्रता एवं दस्तावेज:-

1.1 प्रवेश के लिये पात्रता:-

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के अर्न्तगत ऐसे बच्चे पात्र होंगे जिनके अभिभावक निम्न वर्ग से संबंधित हों:-

वंचित समूह:-

- अनुसूचित जाति,
- अनुसूचित जनजाति,
- वनभूमि के पट्टाधारी परिवार,
- विमुक्त जाति
- निःशक्त बच्चे (मैडिकल बोर्ड से जारी प्रमाण पत्र अनुसार)
- HIV ग्रस्त बच्चे

कमजोर वर्ग:-

- गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार के बच्चे
- अनाथ बच्चे (राज्य शासन द्वारा अनाथ बच्चों को भी कमजोर वर्ग में शामिल किया गया है)
- कोविड-19 से माता-पिता/अभिभावक की मृत्यु के कारण अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा, आर्थिक सहायता तथा खादय सुरक्षा के लिये मुख्यमंत्री कोविड-19

बाल कल्याण योजना के हितग्राही । इस योजना में निम्नलिखित आवेदक पात्र होंगे:-

- 1 परिवार से अभिप्राय पति-पत्नि और उन पर आश्रित बच्चों से है,
- 2 माता-पिता की कोविड-19 से मृत्यु हुई हो या
- 3 माता पिता का निधन पूर्व में हो गया था उनके वैध अभिभावक की कोविड-19 से मृत्यु हुई हो या
- 4 माता-पिता में से किसी एक का पूर्व में निधन हो चुका है तथा अब दूसरे की कोविड-19 से मृत्यु हुई है।
- 5 कोविड-19 से मृत्यु का अभिप्राय ऐसी किसी भी मृत्यु से है, जो 1 मार्च 2021 से 30 जून 2021 तक की अवधि में हुई।
- 6 बाल हितग्राही के मामले में संरक्षक का चिन्हांकन योजना के अन्तर्गत कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा।

1.2 प्रवेश के लिये निम्नानुसार दस्तावेज आवश्यक होंगे:-

1.2.1 वंचित समूह और कमजोर वर्ग का प्रमाण:-

वंचित समूह

वंचित समूह में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति/विमुक्त जाति के लिए बच्चों के पालक/अभिभावक के राशन कार्ड में उल्लेखित जाति या अन्य कोई शासकीय दस्तावेज जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/विमुक्त जाति होने का उल्लेख हो प्रारंभिक दस्तावेज मान्य होगा। यदि किसी बच्चे के भाई/बहन का जाति प्रमाण पत्र है तो वह भी प्रारंभिक दस्तावेज के रूप में मान्य होगा। यदि पालक/अभिभावक संयुक्त परिवार का सदस्य है तो ऐसी स्थिति में परिवार के मुखिया के दस्तावेज मान्य होंगे। विमुक्त जाति (विमुक्त जाति में शामिल है-बंजारा, हाबुडा, भाटु, चन्द्रवेदिया, बैरागी, कंजर, सांसी, बनछड़ा, मोघिया, कालबेलिया, भानमत, बगरी, नट, पारधी, बेदिया, कुचबंदिया, बिजोरिया, कबूतरी, सन्धिया, पासी एवं सनोरिया) में शामिल पालक के बच्चे।

बच्चों के पालक/अभिभावक के नाम जारी वनग्राम का पट्टा या वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत जारी अधिकार पत्र प्रवेश के लिए मान्य होगा। विकलांग बच्चों के लिए जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी विकलांग प्रमाण पत्र प्रवेश के लिए मान्य होगा।

HIV ग्रस्त बच्चे होने की स्थिति में बच्चे का जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी मेडिकल प्रमाण पत्र प्रवेश के लिए मान्य होगा।

कोविड-19 से माता-पिता/अभिभावक की मृत्यु के कारण अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा, आर्थिक सहायता तथा खादय सुरक्षा के लिये मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के हितग्राही।

कमजोर वर्ग

- कमजोर वर्ग में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार शामिल है। अतः पालक/अभिभावक के नाम जारी वर्तमान में वैध BPL कार्ड/अंत्योदय कार्ड, बच्चों के प्रवेश के लिए मान्य होगा। यदि दस्तावेज संयुक्त परिवार के मुखिया के नाम है तो यह दस्तावेज मान्य होगा। यह कार्ड जिस जिले का बना है केवल उसी जिले में प्रवेश आवेदन हेतु मान्य होगा।
- शासन द्वारा अनाथ बच्चों को भी कमजोर वर्ग की श्रेणी में मान्य किया गया है। इनके लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा।
- राज्य शासन द्वारा कोविड-19 से माता-पिता/अभिभावक की मृत्यु के कारण अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा, आर्थिक सहायता तथा खादय सुरक्षा के लिये मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के अन्तर्गत ऐसे बच्चों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत शामिल किया गया है। योजना से संबंधित महिला बाल विकास विभाग से जारी आदेश क्रमांक 1373/2021/50-2 भोपाल दिनांक 21.06.2021 अनुसार कार्यवाही की जाये।

1.2.2 निवास का प्रमाण पत्र :-

ग्राम अथवा वार्ड/पड़ोस/पड़ोस की विस्तारित सीमा का निवासी होने के लिए बच्चों के पालक/अभिभावक के निम्नलिखित में से दस्तावेज मान्य होंगे:-

- मतदाता परिचय पत्र,
- राशन कार्ड/पात्रता पर्ची/समग्र पर्ची,
- ग्रामीण क्षेत्र का जाबे कार्ड (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना),
- पासपोर्ट/ड्राइविंग लायसेन्स/बिजली बिल/पानी बिल,
- कोई अन्य शासकीय दस्तावेज जिसमें बच्चों के पालक/अभिभावक के निवास का पता अंकित हो।

यदि पालक/अभिभावक संयुक्त परिवार का सदस्य है तो परिवार के मुखिया के नाम के शासकीय दस्तावेज मान्य होंगे।

1.3 उम्र के संबंध में प्रमाण पत्र:- आयु के संबंध में निम्नानुसार पात्रता होगी

क्रमांक	प्रवेश आवेदन की कक्षा	न्यूनतम आयु
1	नर्सरी/के.जी.-1/के.जी.-2	न्यूनतम आयु 03 से 05 वर्ष
2	कक्षा-1 में प्रवेश के लिये	न्यूनतम आयु 05+से 07वर्ष

आयु के संबंध में मूल प्रति से मिलान न करने की स्थिति में अथवा मूल प्रति प्रस्तुत न करने की स्थिति में अपात्र माना जायेगा। सत्र 2022-23 के प्रवेश हेतु आवेदक की आयु की गणना दिनांक 16 जून 2022 की स्थिति में की जायेगी।

जन्मतिथि के संबंध में पात्र दस्तावेज निम्नानुसार होंगे:-

- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र।

- जहां जन्म, मृत्यु तथा विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1886(1886 का 6) के अधीन जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध न हो वहां स्कूल में प्रवेश के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज बालक की आयु का सबूत माना जायेगा—

- (क) अस्पताल/सहायक नर्स तथा प्रसाविका मिडवाइफ(ए.एन.एम.) का रजिस्टर रिकार्ड,
- (ख) आंगनवाड़ी का रिकार्ड,
- (ग) पालक या अभिभावक द्वारा बच्चे की आयु का स्व घोषणा पत्र

वशर्ते कि बच्चे के पालक या अभिभावक को बच्चे की जन्मतिथि के सत्यापन का प्रमाण पत्र क्षेत्र के स्थानीय प्राधिकारी, नगरीय स्थानीय निकाय या पंचायत जहां कि वह रहता है/रहती है के निर्वाचित किसी प्रतिनिधि के हस्ताक्षर से प्रवेश के छः माह के भीतर प्रस्तुत करना होगा।

2. प्रचार प्रसार:—

- 2.1 अधिनियम के इस प्रावधान का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये। इसके तहत अशासकीय स्कूल द्वारा स्वयं की वेब साइट, नोटिस बोर्ड एवं सार्वजनिक स्थलों पर विज्ञापन द्वारा प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाये। इसके अतिरिक्त जिला/विकासखंड/संकुल स्तर पर भी इसका प्रचार-प्रसार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया एवं प्रचार प्रसार के माध्यमों से किया जाये, जिससे वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के अधिक से अधिक बच्चे अधिनियम के इस प्रावधान से लाभान्वित हो सकें।
- 2.2 अधिनियम के इस प्रावधान के संबन्ध में जनप्रतिनिधियों एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को उन्हें अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी दी जाये एवं उनका सहयोग प्राप्त किया जाये। इसमें कोविड प्रोटोकॉल का पूर्ण पालन किया जाये।

3. निःशुल्क प्रवेश हेतु स्कूल वार तथा कक्षावार निःशुल्क आरक्षित सीटों का प्रदर्शन:—

- 3.1 अशासकीय स्कूल द्वारा मान्यता आवेदन में दर्ज की गयी सीटों को बीआरसीसी के लॉगिन पर प्रदर्शित की गयी थी जिसे परीक्षण उपरांत बीआरसीसी द्वारा सीटों को लॉक कर जिला परियोजना समन्वयक अग्रेषित की गयी तत्पश्चात जिला परियोजना समन्वयक द्वारा परीक्षण कर सीटों को लॉक की गयी। आवेदक के ग्राम/वार्ड, पड़ोस तथा विस्तारित पड़ोस में स्थित मान्यता प्राप्त अशासकीय शालाओं में निःशुल्क प्रवेश हेतु आरक्षित सीटें (शालावार/कक्षावार) की जानकारी आरटीई पोर्टल <http://rteportal.mp.gov.in> पर प्रदर्शित की गयी है।
- 3.2 यह जानकारी संबंधित विकासखण्ड के जनपद शिक्षा केन्द्र (बीआरसी कार्यालय), जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय एवं जिला शिक्षा केन्द्र कार्यालय में भी उपलब्ध हो। इसे कार्यालय में सार्वजनिक प्रयोजन हेतु चस्पा किया जाये।

4. ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया :—

निःशुल्क प्रवेश आवेदन केवल ऑनलाइन ही दर्ज होंगे, ऑफलाइन कोई आवेदन मान्य नहीं होगा। अतः आवेदक द्वारा किसी भी कार्यालय अथवा प्रायवेट स्कूल में आवेदन की हार्ड कॉपी जमा नहीं की जाये।

आवेदक पोर्टल पर अपना आवेदन स्वयं ही ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं।

- 4.1 आवेदन पत्र का प्रारूप आरटीई पोर्टल पर भी उपलब्ध है जिसे किसी भी व्यक्ति द्वारा बगैर किसी पासवर्ड या बगैर शुल्क के डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन का प्रारूप परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।
- 4.2 आवेदक निःशुल्क प्रवेश हेतु अपना आवेदन पत्र पोर्टल पर जिसकी लिंक <http://rteportal.mp.gov.in> है, पर केवल ऑनलाइन ही दर्ज करें। एक आवेदक केवल एक ही ऑनलाइन आवेदन करेगा। ऑनलाइन आवेदन में कम से तीन स्कूलों को विकल्प के रूप में दर्ज करना होगा एवं अधिकतम 10 स्कूलों का चयन किया जा सकता है। यदि किसी आवेदक के स्वयं के ग्राम/वार्ड, पड़ोस अथवा विस्तारित पड़ोस में तीन से कम अशासकीय स्कूल हैं तो तीन से कम स्कूल आवेदन में दर्ज करने की छूट रहेगी।
- 4.3 आवेदक द्वारा आवेदन में स्कूलों के नाम प्राथमिकता क्रम से दर्ज किये जाये। स्कूलों का चयन करते समय आवेदक अपनी प्राथमिकता को भली भाँति सुनिश्चित करने के उपरांत ही अपना आवेदन पोर्टल पर लॉक करे।
- 4.4 यदि किसी पालक का एक बच्चा किसी अशासकीय स्कूल में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निःशुल्क अध्ययनरत है एवं उस पालक के द्वारा अपने दूसरे बच्चे का उसी अशासकीय स्कूल में निःशुल्क प्रवेश हेतु प्राथमिकता देते हुये आवेदन किया जाता है, ऐसी स्थिति में पालक के लिये पूर्व में अध्ययनरत बच्चे के स्कूल में प्रवेश हेतु प्राथमिकता का विकल्प ऑनलाइन लॉटरी की प्रक्रिया में रहेगा।
- 4.5 आवेदन फार्म के साथ आरक्षित कोटा से संबंधित दस्तावेज स्कैन कर पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है। आवेदक सुनिश्चित करें कि दर्ज की जा रही जानकारी संपूर्ण रूप से सही हो, जिस प्रमाण पत्र के आधार पर प्रवेश हेतु आवेदन किया जा रहा है वह पूर्णतः सत्य एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी हो।
- 4.6 ऑनलाइन आवेदन पश्चात दस्तावेजों के परीक्षण के समय मूल दस्तावेज उपलब्ध कराना होगा। दर्ज जानकारी तथा मूल दस्तावेज में अंतर पाए जाने पर अपात्र किया जायेगा।
- 4.7 ऑनलाइन आवेदन के पश्चात यदि कोई आवेदक निर्धारित तिथि के अंदर सत्यापन केन्द्र पर जाकर सत्यापन नहीं कराता है तो उसका आवेदन स्वयं निरस्त हो जायेगा एवं ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं हो सकेगा।
- 4.8 आवेदक की यह जिम्मेदारी होगी कि, आवेदन देने के पहले यह पुष्टि कर ले कि उसे प्रवेश की पात्रता है, अर्थात वह वंचित समूह अथवा कमजोर वर्ग की श्रेणी का है और वह संबंधित स्कूल के ग्राम/वार्ड अथवा परिभाषित पड़ोस अथवा पड़ोस की विस्तारित सीमा के अंतर्गत निवासरत है। ऑनलाइन आवेदन में आवेदक ध्यान पूर्वक ही स्कूलों का प्राथमिकता क्रम दर्ज करें।
- 4.9 आवेदक द्वारा पोर्टल पर किये गये आवेदन की पोर्टल से जनरेटड पॉवती को अपने पास सुरक्षित रखा जाये। सत्यापन केन्द्र में सत्यापन के समय यह आवेदन पावती होना अनिवार्य है।

4.10 यदि कोई आवेदक पूर्व से ही निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत किसी अशासकीय स्कूल में निःशुल्क अध्ययनरत है तो वह ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अपात्र होगा।

4.11 परन्तु यदि कोई मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूल कोरोना काल में बंद हो गया है, ऐसे बंद अशासकीय स्कूलों की सूची राज्य शिक्षा केन्द्र के पत्र क्रमांक/राशिके/आरटीई/2022/3437 भोपाल दिनांक 30.05.2022 के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक के संयुक्त हस्ताक्षर से चाही गयी थी ताकि कोविड के कारण बंद हुये इन अशासकीय स्कूलों में आरटीई के तहत निःशुल्क अध्ययनरत बच्चों को अनमेप किया जा सके। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक के संयुक्त हस्ताक्षर से प्राप्त स्कूलों को अनमेप किया जायेगा एवं इन स्कूलों में अध्ययनरत बच्चे सत्र 2022-23 के ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया में आयु अनुरूप नर्सरी/केजी-1/केजी-2 एवं कक्षा-1 में ऑनलाइन आवेदन करने हेतु पात्र होंगे।

5. आवेदनों में त्रुटि सुधार हेतु विकल्प:-

आवेदक द्वारा ऑनलाइन पंजीकृत आवेदन में यदि कोई त्रुटि हो गई है, तो आवेदक अपने आवेदन में निर्धारित समयावधि में पोर्टल पर त्रुटि सुधार ऑप्शन में जाकर त्रुटि सुधार कर सकते हैं। आवेदन लॉक करने के पूर्व अच्छी तरह से संतुष्ट हो जायें कि आवेदन में दर्ज समस्त जानकारी सत्य हो।

5.1 आर.टी.ई. पोर्टल पर आवेदक को त्रुटि सुधार हेतु ऑनलाइन आवेदन की पावती की आवश्यकता होगी। पोर्टल पर त्रुटि सुधार हेतु आवश्यक जानकारी दर्ज करने के पश्चात आवेदक के पास उनके द्वारा मूल आवेदन में दर्ज मोबाईल नम्बर पर एक पासवर्ड (ओटीपी) प्राप्त होगा, इस ओटीपी को दर्ज करते हुए आवेदक स्वतः अपने आवेदन में त्रुटि सुधार कर लॉक करेंगे।

5.2 आवेदक को त्रुटि सुधार हेतु विकल्प, पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा। यदि आवेदक निर्धारित समयावधि में त्रुटि सुधार नहीं करता है तो यह माना जायेगा कि आवेदक पोर्टल पर दर्ज आवेदन से संतुष्ट है। यदि कोई त्रुटि है तो जनशिक्षा केन्द्र में सत्यापन कराने के पूर्व त्रुटि सुधार कर लें। सत्यापन उपरांत तथा त्रुटि सुधार की निर्धारित तिथि के पश्चात त्रुटि सुधार नहीं किया जा सकेगा।

6 ऑनलाइन आवेदन के बाद पंजीकृत बच्चों का मूल दस्तावेजों से सत्यापन:-

6.1 ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात पालक द्वारा आरटीई पोर्टल से आवेदन की पावती तथा सत्यापन प्रपत्र डाउनलोड किया जायेगा। इसकी 02 प्रति में प्रिंट निकालकर निर्धारित स्थल पर सत्यापन की अवधि तक आवेदन पत्र में अंकित जानकारी के अनुसार मूल दस्तावेज, फोटो, सत्यापन प्रपत्र तथा आवेदन प्राप्ति की ऑनलाइन पावती सहित सत्यापन केन्द्र पर जाकर माता-पिता/अभिभावक द्वारा सत्यापन कराया जाना अनिवार्य है। मूल जन्म प्रमाण पत्र, आरक्षित कोटा प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र लेकर जाना अनिवार्य है। मूल दस्तावेजों सत्यापन न

कराये जाने पर आवेदन स्वतः ही निरस्त हो जायेगा।

6.2 सत्यापन के समय आवेदन में पंजीकृत मोबाइल नंबर-1 पर ओटीपी आयेगा इसलिये सत्यापन केन्द्र पर आवेदन में जो मोबाइल नंबर दर्ज किया है उस मोबाइल को साथ में ले जाना अनिवार्य होगा। सत्यापन अधिकारी द्वारा ओटीपी मांगे जाने पर पालक द्वारा ओटीपी प्रदान किया जाये जिससे सत्यापन केन्द्र पर सत्यापन हो सके।

6.3 सत्यापन अधिकारी, आवेदक द्वारा आवेदन में अंकित दस्तावेजों का आवेदक के मूल दस्तावेजों से सत्यापन करेगा। आवेदक ने आर.टी.ई. में निःशुल्क प्रवेश हेतु जिस निर्धारित कोटा/निवास क्षेत्र/आयु अनुसार जिस कक्षा में प्रवेश हेतु आवेदन किया है, उसका सत्यापन उस कोटे, आयु, आधार कार्ड एवं निवास से संबंधित मूल प्रमाण पत्र से किया जायेगा। सत्यापन हेतु आवेदक अपने नजदीकी किसी भी जनशिक्षा केन्द्र में जाकर सत्यापन करा सकते हैं।

6.4 सत्यापन अधिकारी द्वारा मोबाइल एप पर अपनी यूनिक आईडी तथा पासवर्ड से लॉगिन किया जायेगा एवं आवेदन पत्र में अंकित विवरण दर्ज किया जायेगा। सत्यापन केन्द्र पर जाने के पहले सत्यापन अधिकारी द्वारा मोबाइल एप को लॉगिन करके देख ले यदि एप पर लॉगिन नहीं हो रहा है तो अपना पासवर्ड रिसेट कर ले। यदि मोबाइल नंबर बदल गया है तो मोबाइल नंबर को जिला शिक्षा केन्द्र के माध्यम से अपडेट करा लें। मोबाइल एप से ही सत्यापन दर्ज किया जायेगा। यदि सत्यापन पंजीयन नहीं किया जाता है तो संबंधित सत्यापन अधिकारी व्यक्तिशः इसके जिम्मेदार होंगे। सत्यापन उपरांत दस्तावेज सत्य पाये जानें पर आवेदक को अंतिम रूप ऑनलाइन लॉटरी की प्रक्रिया में सम्मिलित होने हेतु सत्यापन प्रपत्र में पात्र होने की पुष्टि कर हस्ताक्षर किये जायेंगे।

6.5 यदि सत्यापन अधिकारी किसी भी प्रवेशार्थी को दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत पात्र नहीं पाता है, तो उसे अपात्र होने का कारण मोबाइल एप के माध्यम से दर्ज करना होगा साथ ही निर्धारित प्रपत्र में कारण दर्ज किया जायेगा।

6.6 सत्यापन अधिकारी द्वारा सत्यापन करने के उपरांत सत्यापन होने की सूचना का एसएमएस प्राप्त होगा। आवेदक यह सुनिश्चित कर लें कि यह एसएमएस प्राप्त हो गया हो।

6.7 सत्यापनकर्ता अधिकारी द्वारा सत्यापन प्रपत्र की एक प्रति में हस्ताक्षर करके बी.आर.आर.सी. कार्यालय में रिकार्ड के रूप में प्रदान किया जाना अनिवार्य है। इस अभिलेख को संबंधित बच्चे के रिकार्ड के रूप में बीआरसीसी कार्यालय में सुरक्षित रखी जायेगी।

6.7 कोविड-19 से प्रभावित हुये अनाथ बच्चों को आवेदन उपरांत प्रथमतः शत प्रतिशत बच्चों को सीट आवंटित की जाना है अतः इन बच्चों को तभी अपात्र किया जाये जब सत्यापन कर्ता अधिकारी पूर्ण रूप से जाँच करने के उपरांत अनाथ होने से संबंधित कारण से संतुष्ट नहीं हो इस संबंध में यदि कोई सहायता/मार्गदर्शन की आवश्यकता है तो सत्यापन अधिकारी द्वारा संबंधित विकासखंड के विकासखंड श्रेत समन्वयक से संपर्क करने के उपरांत ही अपात्र किया जाये।

7. ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से सीटों का आवंटन :-

सत्यापन उपरांत पात्र पाये गये आवेदकों को ही ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया में सम्मिलित किया जायेगा। अतः आवेदन करने के पश्चात सत्यापन कराने अवश्य जाये अन्यथा आवेदन निरस्त हो

जायेगा। केन्द्रीकृत, रेण्डमाइजेशन, पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से एन.आई.सी. मध्यप्रदेश द्वारा छात्रों को चयनित अशासकीय स्कूल का आवंटन होगा।

7.1 सीट आवंटन के लिये प्रथम प्राथमिकता ग्रामीण क्षेत्र होने पर उसी ग्राम तथा शहरी क्षेत्र में उसी वार्ड के बच्चों को होगी। इसी प्रकार उसी ग्राम/वार्ड के बच्चों के प्रवेश के उपरांत यदि सीटें रिक्त रह जाती हैं तो पड़ोस की सीमा (ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम की सीमा से लगे हुए ग्राम तथा नगरीय क्षेत्र की सीमा से लगे वार्ड, यदि कोई हो तो, तथा नगरीय क्षेत्र में वार्ड की सीमा से लगे हुए वार्ड तथा उसकी सीमा से लगे हुए ग्राम, यदि कोई हो तो) में निवासरत बच्चों को प्रवेश की पात्रता होगी। यदि इसके उपरांत भी सीटें रिक्त रह जाती हैं तो विस्तारित पड़ोस की सीमा के आवेदक को प्रवेश की पात्रता होगी।

7.2 कोविड-19 से माता-पिता/अभिभावक की मृत्यु के कारण अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा, आर्थिक सहायता तथा खादय सुरक्षा के लिये मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना अर्न्तगत पंजीकृत आवेदकों को ऑनलाइन लॉटरी में प्राथमिकता होगी।

8 आवेदक को स्कूल का आवंटन की सूचना तथा आवंटन पत्र डाउनलोड करना:-

ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया के उपरांत आवंटित स्कूल की सूचना आवेदक को उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से प्रदान की जायेगी। आवेदक अपना आवंटन पत्र पोर्टल से स्वयं ही डाउनलोड करेगा। आवेदकों को स्कूल आवंटन की जानकारी बीआरसीसी कार्यालय द्वारा उनके सूचना पटल पर भी उपलब्ध करायी जायेगी।

9. आवंटन पश्चात सत्यापन उपरांत पात्र बच्चों द्वारा प्रायवेट स्कूलों में जाकर प्रवेश ग्रहण करना एवं प्रायवेट स्कूल द्वारा पोर्टल पर रिपोर्टिंग दर्ज करना :-

9.1 ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से चयनित बच्चे द्वारा समय सीमा में आवंटन पत्र की प्रति, आरटीई कोटा का प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आवेदन में दर्ज दो पासपोर्ट फोटो ग्राफ लेकर उनको आवंटित स्कूल में उपस्थित होना होगा। बच्चों के उपस्थित होने पर उसी दिवस स्कूल द्वारा अपने यूजर नेम एवं पासवर्ड से बच्चे की मोबाइल एप से फोटो लेकर एडमिशन रिपोर्टिंग की जायेगी। इसके पश्चात आवेदक के पास ओटीपी आयेगा आवेदक के द्वारा ओटीपी से पुष्टि करने पर प्रवेश मान्य होगा। जिन बच्चों को निर्धारित समयवाधि में एडमिशन रिपोर्टिंग संबंधित अशासकीय स्कूल द्वारा की जाती है उनका ही प्रवेश मान्य होगा।

9.2 आवंटित बच्चे के प्रवेश देने से यदि किसी स्कूल द्वारा मना किया जाना पाया जाता है तो संबंधित स्कूल के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाये।

उपरोक्त समस्त कार्यवाही के संबंध में आवेदकों को मदद प्रदान करने हेतु विकासखंड एवं जिला स्तर पर एक ऑनलाइन हेल्प डेस्क स्थापित की जाये। इनमें कार्यालयों के अधिकारियों के नाम एवं उनके दूरभाष की जानकारी सूचना पटल पर चरुपा की जाये। कृपया उक्त प्रक्रिया संबंधी निर्देश जिले में स्थित सभी गैर अनुदान मान्यता प्राप्त प्रायवेट स्कूलों को प्रेषित करते हुये तथा सत्यापन

अधिकारियों का ऑनलाइन तरीके से प्रशिक्षण करते हुये समुचित प्रचार-प्रसार के माध्यम से निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2009 के प्रावधानों के अनुसार नियमानुसार एवं पूर्ण पारदर्शी तरीके से समयावधि में प्रवेश की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

संलग्न:-आवेदन पत्र प्रारूप



(धनराजू एस.)

संचालक


राज्य शिक्षा केन्द्र

14/08/2022

पृष्ठांकन क्रमांक/राशिके/आरटीई/2022 / 3682
प्रतिलिपि:-

भोपाल दिनांक 14.5.22

1. निज सचिव, माननीय राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार),म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र.।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग।
3. आयुक्त, लोकशिक्षण संचालनालय म.प्र. भोपाल।
4. आयुक्त जनसंपर्क विभाग म.प्र. भोपाल।
5. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, म.प्र. भोपाल।
6. आयुक्त, महिला बाल विकास विभाग, भोपाल म.प्र.
7. समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र.।
8. प्रबंध संचालक, MPSEDC State IT Center अरेरा हिल्स भोपाल
9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, समस्त जिले, म.प्र. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, समस्त संभाग म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, समस्त जिले म.प्र.।
12. विकासखंड श्रोत समन्वयक, जनपद शिक्षा केन्द्र, समस्त विकासखंड म.प्र. की ओर उपरोक्तानुसार कार्यवाही वावत।




संचालक

राज्य शिक्षा केन्द्र

14/08/2022

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1)(C)के अंतर्गत कमज़ोर एवं वंचित समूह के बच्चों के निःशुल्क प्रवेश हेतु आवेदन पत्र Year 2022-23



A. प्रवेशार्थी का विवरण कृपया संपूर्ण जानकारी English Capital लेटर में भरे

1. परिवार की 8 अंको की समग्र फेमली आईडी (अनिवार्य)
2. प्रवेशार्थी का 9 अंको का समग्र आईडी (अनिवार्य)
4. पिता का समय आईडी
5. माता का समय आईडी
3. प्रवेशार्थी का 12 अंको का आधार नंबर (अनिवार्य)

B. प्रवेशार्थी के निवास एवं संपर्क की जानकारी (पालक के वर्तमान निवास प्रमाणपत्र के अनुसार) केपीटल लेटर में भरे

- a) जिला.....
- b) जनपद पंचायत/नगर पंचायत/नगर पालिका/नगरनिगम
- c) ग्राम पंचायत/जोन क्रमांक ग्राम/वार्ड.....
- d) मोहल्ला/बसाहट.....
- e) मकान एवं.....पता.....
- f) सीट आवंटन की सूचना देने हेतु मोबाइल-1
- g) सीट आवंटन की सूचना देने हेतु मोबाइल-2
- h) ईमेल(यदि हो तो).....

C. जन्म प्रमाणपत्र के अनुसार प्रवेशार्थी एवं उसके माता,पिता,अभिभावक की जानकारी केपीटल लेटर में भरे

- 1) प्रवेशार्थी का प्रथम नाम
- 2) उपनाम (Surname)
- 3) जन्मतिथिDD/MM/YYYY दिनांक माह वर्ष
- 4) लिंग:- बालक / बालिका
- 5) पिता का नाम माता का नाम
- 6) Caste- General/OBC/SC/ST-----

D. प्रवेश हेतु आरक्षित श्रेणी संवर्ग:-श्रेणी का कोड दर्ज करें :-

- 1.वर्तमान स्थिति में जीवित बीपीएल कार्डधारी परिवार(अन्तोदयकार्डधारी) 2.अनुसूचितजाति
- 3.अनुसूचितजनजाति 4.विमुक्तजाति 5.वनग्रामपट्टाधारी 6.विकलांग(CWSN) 7. महिला एवं बालविकास अधिकारी द्वारा पंजीकृत अनाथबच्चे 8. HIV ग्रस्त बच्चे

उपरोक्त श्रेणीयों (उपरोक्त सरल क्रमांक 7,8 को छोड़कर) के संबन्ध में शासन के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रवेशार्थी के माता या पिता अथवा अभिभावक के नाम पर जारीप्रमाण पत्र का विवरण

- (i) क्रमांक..... दिनांक माह वर्ष

जारीकर्ता कार्यालय एवं अधिकारी का पदनाम-----

(ii) यदि प्रवेशार्थी विशेष आवश्यकता (CWSN) केटेगरी का है तो जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्रानुसार विकलांगता का प्रतिशत%-----विकलांगता का प्रकार-----

(iii) यदि प्रवेशार्थी HIV ग्रस्त केटेगरी का है तो जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाणपत्र क्रमांक.....दिनांक माह वर्ष

(IV) कोविड-19 से माता-पिता/अभिभावक की मृत्यु के कारण अनाथ बच्चे का विवरण बच्चे के माता-पिता/अभिभावक का मृत्यु प्रमाण पत्र

Covidbalkalyan.mp.gov.in पर पंजीयन का पंजीयन क्रमांक.....

माता-पिता/अभिभावक की मृत्यु दिनांक माह वर्ष- 2021

E. प्रवेश हेतु कक्षा -नर्सरी/ केजी-1/ केजी -2/ पहली(1) -----

F. प्रवेशार्थी द्वारा प्रवेश हेतु आवेदित स्कूल चयन का विवरण प्राथमिकता क्रम अनुसार निम्नानुसार है:-

स्कूल की प्राथमिकता क्रमांक	चयनित स्कूल का स्कूल आईडी (PS-----)	प्रवेश हेतु आवेदित स्कूल का नाम एवं पता (प्राथमिकता क्रमानुसार ही स्कूल के नाम दर्ज करें)	आवेदक का भाई/बहिन क्या इस स्कूल में अध्ययनरत है यदि हाँ तो टिक करें	यदि क्रमांक 4 में यदि विकल्प हाँ चुना जाता है तो क्या पालक इस बच्चे को भी इसी स्कूल में निःशुल्क प्रवेश हेतु सहमत है। हाँ/नहीं
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

माता/पिता/अभिभावक द्वारा घोषणा

मैं शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन में मेरे द्वारा दर्ज प्रवेशार्थी स्वयं के संबंध में दी गई समस्त जानकारी सही है। मेरे द्वारा एक ही आवेदन किया जा रहा है, अन्य आवेदन नहीं किया गया है। मैं शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदक पूर्व में शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12(1)(C) के अंतर्गत किसी भी प्राइवेट स्कूल में निःशुल्क अध्ययन नहीं किया है एवं वर्तमान में अन्य किसी भी प्राइवेट स्कूल में अधिनियम की धारा 12(1)(C) के तहत निःशुल्क प्रवेशित नहीं है। किसी भी प्रकार की गलत जानकारी पाये जाने की स्थिति के लिये मैं सदैव जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी। यदि किसी भी प्रकार की असत्य जानकारी पायी जाती है तो मेरे बच्चे की सीट आवंटन निरस्त कर दी जाये एवं मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही के लिये मैं जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी।

आवेदन प्रस्तुत करने का दिनांक

हस्ताक्षर/अर्गुंठे का निशान

(माता/पिता/अभिभावक) का नाम-----

आवश्यक सूचना-

1. आवेदक पूर्व में शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12(1)(C) के अंतर्गत किसी भी प्राइवेट स्कूल में निःशुल्क अध्ययन किया है अथवा वर्तमान में किसी भी प्राइवेट स्कूल में अधिनियम की धारा 12(1)(C) के तहत निःशुल्क प्रवेशित है तो आवेदन करने हेतु पात्र नहीं है
2. आवेदक ऑनलाइन आवेदन करने के उपरांत पावती एवं सत्यापन प्रपत्र अपने पास सुरक्षित रखे।
3. आनलाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदक द्वारा आरटीई पोर्टल से सत्यापन प्रपत्र डाउनलोड किया जायेगा एवं निर्धारित दिनांक तक आवेदन पत्र में अंकित जानकारी के अनुसार मूल दस्तावेज, फोटो, सत्यापन प्रपत्र तथा आवेदन प्राप्ति की आनलाइन पावती सहित अपने आवेदन में चयन किये गये जनशिक्षा केन्द्र है वहा पर सत्यापन हेतु उपस्थित होना अनिवार्य है।
4. आनलाइन आवेदन के पश्चात निर्धारित समय में मूल दस्तावेजों सहित सत्यापन हेतु उपस्थित होना अनिवार्य है। निर्धारित समयवधि में दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं होने पर आवेदन निरस्त माना जायेगा।
5. सत्यापन के समय प्रवेशार्थी का नाम, माता, पिता का नाम, जन्म दिनांक, निवास के प्रमाण की जानकारी, आरटीई कोटा का अंकित जानकारी एवं मूल दस्तावेजों से मिलान न होने की स्थिति में आवेदन अमान्य कर दिया जायेगा।
6. आवेदन पत्र में मोबाइल नंबर-1 दर्ज किया है सत्यापन के समय इस मोबाइल नंबर पर ओटीपी आयेगा अतः इस मोबाइल को साथ में ले जाना अनिवार्य है
7. एक प्रवेशार्थी द्वारा एक ही आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा, यदि एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा तो आवेदन निरस्त हो जायेगा।